विवरण

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 5 / **2022**

तहसीलदार शाहपुरा **बनाम** छिमकी [redacted] **वगैरह**

अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 28.3.22

तहसीलदार शाहपुरा के पत्र कमांक आरए/2021/50 दिनांक 21.10.2021 के द्वारा ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.06 है0 में से 0.01 है0, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.86 है0 में से 0.0460 है0, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.59 है0 में से 0.0450 है0 कुल किता 3 में से 0.1010 है0 खातेदारी भूमि में मौके पर सार्वजनिक आम रास्ता चालू होने से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत प्राप्त हुआ । प्रकरण में पक्षकारान /खातेदारों को सुना गया तथा सभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान के द्वारा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में ग्राम पंचायत बाडीजोडी के द्वारा भी मौके पर सार्वजनिक आम रास्ता चालू होना बताया है। तहसीलदार शाहपुरा ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता होना बताया है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत बाडीजोडी पटवारी, गिरदावर हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि मौके पर भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है। खातेदारान ने भी रास्ता दर्ज करने की सहमति प्रदान की है।

अतः ग्राम ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.06 है0 में से 0.01 है0, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.86 है0 में से 0.0460 है0, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.59 है0 में से 0.0450 है0 कुल किता 3 में से 0.1010 है0 खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हों । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(मन मोहन)
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

कमांक/रीडर/2022/ 140 **दिनांक** 29/3/22

प्रतिलिपिः— तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख हैं कि निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिर्पोट भिजवाना सुनिश्चित करें ।

उप खण्ड अधिकारी
(मन मोहन)
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)